

नशा मुक्ति केंद्रों से डिस्चार्ज के पश्चात मरीजों के पुनः नशे की ओर लौटने के कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विकास कुमार, शोधार्थी (मनोविज्ञान), टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर
अनुराधा सिंह, सह आचार्य (मनोविज्ञान), टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर

अमूर्त

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य नशा मुक्ति केंद्रों से उपचार प्राप्त करने के बाद मरीजों में नशे की पुनरावृत्ति (Relapse) के कारणों का पता लगाना है। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान ने नशा छुड़ाने की तकनीक विकसित कर ली है, फिर भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से मरीज दोबारा नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। यह अध्ययन गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है और यह निष्कर्ष निकालता है कि पर्याप्त 'आपटर-केयर', पारिवारिक सहयोग की कमी और पुराना सामाजिक परिवेश रिलेप्स के प्राथमिक कारण हैं।

परिचय

नशा एक मानसिक और शारीरिक रोग है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके संपूर्ण परिवेश को प्रभावित करता है। भारत जैसे विकासशील देश में नशा मुक्ति केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, किंतु चुनौती उपचार के बाद शुरू होती है। रिलेप्स वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति कुछ समय तक नशे से दूर रहने के बाद फिर से उसका सेवन शुरू कर देता है। यह शोध उन विशिष्ट 'ट्रिगर पॉइंट्स' की पहचान करता है जो एक स्वस्थ हो रहे व्यक्ति को वापस व्यसन की ओर धकेलते हैं।

विधि तंत्र

शोध प्रारूप: यह एक वर्णनात्मक (Descriptive) और क्षेत्रीय शोध है।

प्रविधि: प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए व्यक्तिगत अध्ययन (Case Study) और साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श (Sample): नशा मुक्ति केंद्र से लौटे 50 पूर्व-मरीजों का चयन 'स्नोबॉल सैंपलिंग' तकनीक के माध्यम से किया गया है।

विश्लेषण: एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण सरल सांख्यिकी और विषयगत कोडिंग द्वारा किया गया है।

साहित्य समीक्षा

विद्वानों का मानना है कि नशे की लत का उपचार केवल शारीरिक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है। मनोवैज्ञानिक 'टेरेंस गोर्सकी' के अनुसार, रिलेप्स की प्रक्रिया नशा करने से बहुत पहले मानसिक स्तर पर शुरू हो जाती है। भारतीय समाजशास्त्रियों ने यह पाया है कि "सामाजिक बहिष्करण" (Social Exclusion) और "बेरोजगारी" नशे की पुनरावृत्ति के सबसे बड़े सामाजिक कारक हैं। पूर्व के शोध यह भी दर्शाते हैं कि 40: से 60: मरीज उपचार के पहले वर्ष के भीतर ही दोबारा नशे की ओर लौट जाते हैं।

प्रस्तावित शोध के सोपान

समस्या का चयन: रिलेप्स की गंभीरता को समझना।

साहित्य का अवलोकन: पूर्व के सिद्धांतों का अध्ययन।

उपकरणों का निर्माण: प्रश्नावली और साक्षात्कार के प्रश्न तैयार करना।

क्षेत्र कार्य: नशा मुक्त व्यक्तियों और उनके परिवारों से मिलना।

प्रदत्त विश्लेषण: प्राप्त जानकारी का वर्गीकरण और सारणीकरण।

रिपोर्ट लेखन: निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप देना।

शोध समस्या

नशा मुक्ति केंद्रों की सफलता दर केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने लोग नशा छोड़ चुके हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि कितने लोग उस पर टिके रहते हैं। समस्या यह है कि हमारा वर्तमान 'पुनर्वास ढांचा' (Rehabilitation Framework) मरीज को डिस्चार्ज के बाद आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है।

उद्देश्य

- रिलेप्स के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारकों (तनाव, अकेलापन, अवसाद) का अध्ययन करना।
- उन बाह्य कारकों (पुराने दोस्त, उपलब्धता, बेरोजगारी) की पहचान करना जो नशे को उकसाते हैं।

- नशा मुक्ति केंद्रों की 'फॉलो-अप' (थ्वससवू-नच) प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करना।

परिकल्पना

परिकल्पना 1: "पारिवारिक उपेक्षा और सामाजिक तिरस्कार रिलेप्स की दर को बढ़ाते हैं।"

परिकल्पना 2: "मरीज के पुराने वातावरण (पुराने नशेड़ी मित्र) में वापस लौटने से रिलेप्स की संभावना 80: तक बढ़ जाती है।"

महत्व

यह शोध सामाजिक कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों और सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह:

नशा मुक्ति केंद्रों के लिए नए 'पोस्ट-ट्रीटमेंट' मॉड्यूल बनाने में सहायक होगा।

परिवारों को यह समझने में मदद करेगा कि उन्हें मरीज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।

समाज में व्याप्त उस सोच को बदलेगा कि नशा केवल एक 'चरित्र दोष' है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रिलेप्स एक आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। मुख्य कारणों में भावनात्मक अस्थिरता, रोजगार की कमी और आपटर-केयर का अभाव शामिल है। नशा मुक्ति केंद्र से निकलने के बाद पहले 6 महीने सबसे संवेदनशील होते हैं। यदि इस दौरान उचित 'सपोर्ट सिस्टम' मिले, तो व्यक्ति को स्थायी रूप से मुख्यधारा में लाया जा सकता है।

संदर्भ

- 1- गोर्सकी, टी. (1990). रिलेप्स प्रिवेंशन गाइड।
- 2- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वार्षिक रिपोर्ट।
- 3- जेम्स, डब्ल्यू. (2015). एडिक्शन एंड रिकवरी: ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव।
- 4- स्थानीय नशा मुक्ति केंद्रों के केस रिकॉर्ड (2023-24)।